न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 30/2024

1 रामसहाय पुत्र मांग्या
2 गंगांसहाय पुत्र लाल्या
3 लोहडसी पत्नि नरसी
4 लोहडीराम पुत्र लाल्या
5 गिर्राज पुत्र बिरदा
6 महादेव पुत्र बिरदा
7 राधाकिशन पुत्र लाला
8 रामेश्वर पुत्र लाला
9 रामजीलाल पुत्र जगन
10 जगदीश पुत्र जगन
11 रामरतन पुत्र जगन
12 छोटी बेवा रामस्वरूप
13 रामहेत पुत्र सुन्दरलाल
14 मूल्या पुत्र सुन्दरलाल
15 प्रसादी पुत्र सुदरलाल
16 गुड्डी बेवा विक्रम
17 आशीष उम्र 17 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका गुड्डी देवी
18 अंशुल उपा 16 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका गुड्डी देवी
19 प्रेमलता पुत्री विक्रम
20 श्रवण पुत्र मूलचन्द
21 मुखराज पुत्र गोपी
22 सोनू पुत्र गोपी
23 प्रभाती बेवा गोपी
24 बदरी पुत्र भोला
25 गिरधारी पुत्र भोला
26 रामजीलाल पुत्र भोला
27 नोरतीलाल पुत्र सांवल्या
28 रामपाल पुत्र सांवल्या
29 कृष्ण पुत्र भोंदू
30 रामोती बेवा घमसी
31 कन्हैयालाल पुत्र धमसी
32 महादेव पुत्र भूरा
33 गंगा बेवा मूलचन्द
34 मुकेश पुत्र चन्दू
35 राजू पुत्र चन्दू
36 गुलाब पुत्र कौरीलाल
37 बाबूलाल पुत्र कौरीलाल
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम आलूदा तहसील पापड़दा जिला दौसा
38 शान्ति बेवा रोशन
39 मोहन पुत्र रोशन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

40 मूली पत्नि उदयनारायण
41 रोहिताश पुत्र उदयनारायण
42 सन्तरा बेवा रमेश
43 गोलू पुत्र रमेश
44 अन्नू पुत्र रमेश
45 अनुज पुत्र रमेश
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम डागोलाई तहसील पापडदा जिला दौसा

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा वर्तमान तहसीलदार पापडदा तहसील पापडदा जिला दौसा

... रेस्पों0

अपील विरूद्ध नामान्तरण सं० 984 दिनांक 22.3.2005 तहसीलदार तहसील दौसा हाल तहसील पापडदा जिला दौसा

उपस्थित– 1. श्री उमेश गौड, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा ग्राम आलूदा के पारित नामान्तरण सं0 984 दिनांक 22.3.2005 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांट्स अनुसूचित जनजाति के काश्त पेशा व्यक्ति है जिनको कानून की कोई जानकारी नहीं है। तहसीलदार दौसा द्वारा व हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट की भूमि को सिचवायचक करने की जानकारी नहीं दी गई दिनांक 22.10.2024 को प्रार्थीगण की भूमि पर कुछ लोग आये और उनके द्वारा यह कहा कि इस जमीन पर रीको द्वारा प्लॉट काटे जायेंगे जिस पर अपीलांट्स द्वारा तहसील कार्यालय में गये और बाद जानकारी जैर अपील नामान्तरण की जानकारी कर नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी काबिले माफी है। अतः अपील पेश करने में हुए देरी को क्षमा फरमाते हुए उक्त अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उक्त नामान्तरण आदेश की अपीलांट्स को पूर्व में ही जानकारी रही है। अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस उपस्थित अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिनके द्वारा जैर अपील आराजीयात को जरिए विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर काबिल काश्त बनाया है। जिस पर अपीलांट काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। अपीलांट की खातेदारी भूमि के संबंध में तहसीलदार जी दौसा द्वारा दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

22–3–2005 को प्रार्थीगण खातेदार को बिना सूचना एवं सुनवाई का मौका दिये एस.डी.ओ. दौसा के निर्णय दिनांक 18–6–1997 का हवाला देते हुए निरस्त फरमाया गया है जिसके विरूद्व यह अपील पेश की जा रही है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील दौसा का नामान्तरण दिनांक 22–3–2005 विधि विरूद्व एवम तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण दिनांक 22–3–2005 पारित करते समय अपीलांट को कोई सूचना व सुनवाई का मौका नही दिया है अतः नामान्तरण आदेश निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण संख्या 984 वाके ग्राम आलूदा में एस डी ओ साहब के निर्णय दिनांक 18–6–1997 का वर्णन किया गया है जबकि न्यायालय उपजिला कलेक्टर दौसा में अपीलांट पक्षकार नही थे। एस डी ओ न्यायालय का तथाकथित निर्णय अपीलांट पर प्रभावी नही होने के बावजूद भी जैर अपील नामान्तरण पारित करने में गम्भीर त्रुटी कारित की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। न्यायालय उपजिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18–6–1997 के विरूद्व रिट याचिका माननीय राज. उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में विचाराधीन था और उसमें स्थगन आदेश प्रभावी था जिसके संबंध में किसी तरह का कोई आदेश न्यायालय उपजिला कलेक्टर दौसा द्वारा तहसीलदार दौसा को जारी नही किया गया था। तहसीलदार दौसा के यहां सरकार बनाम राजेन्द्रसिंह के संबंध मे पत्रावली विचाराधीन थी जिनमें दिनांक 7–11–2006 को एस डी ओ दौसा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक प्रकरण स्टे किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर किया गया है जिसके बावजूद भी तहसीलदार दौसा द्वारा एस डी ओ दौसा के निर्णय का हवाला देते हुए गलत तरीके से जैर अपील नामान्तरण जारी किया गया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा जैर आराजी को खरीद किया है इससे पूर्व 2–3 खातेदार द्वारा जमीन का बेचान किया गया है ओर जैर अपील आराजी का बेचान एस डी ओ दौसा के निर्णय व आदेश से काफी पूर्व हुए है जिसकी जानकारी तहसीलदार दौसा को भली भांति होने के बाद भी जैर अपील में अंकित पक्षकारान को कोई सूचना एवम सुनवाई का अवसर न देकर नामान्तरण खोला है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित किया गया जैर नामान्तरण संख्या 984 आदेश दिनांक 22–3–2005 को निरस्त फरमाया जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरण तहसीलदार दौसा के द्वारा उपखंड अधिकारी दौसा के आदेश की पालना में विधिवत रूप से खोला गया था। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. अपीलांट द्वारा उक्त पत्रवाली में कई कथन किये गये है जैसेकि रिट माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होना, स्थगन आदेश प्रभावी होना, अपीलांट का रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा जैर आराजी को खरीदना तथा इससे पूर्व 2–3 खातेदारों द्वारा भूमि को विकय किया जाना किन्तु अपीलांस द्वारा अपने कथनों के समर्थन में एक भी दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त नामान्तरण उपखंड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 16.2.2005 की पालना में दर्ज किया गया था। जिसमें तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश की पालना की गई है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट [illegible] की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाणीन आदेश दिनांक [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जा[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:57 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्ष्म न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:57 IST
Reason: SelfAttested